कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

कार्यालय : समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जामताड़ा

निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01 / 2019–20

1. विज्ञापन दाता का नाम :– परियोजना पदाधिकारी, आई.टी.डी.ए., जामताड़ा
2. परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि :– दिनांक 05.07.2019 अपराह्न 5:00 बजे तक
3. निविदा प्राप्ति की तिथि :– दिनांक 08.07.2019 को अपराह्न 3:00 बजे तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 08.07.2019 को अपराह्न में 3:30 बजे से
5. परिमाण विपत्र बिकी का स्थान :– आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, जामताड़ा।
6. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान :– आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, जामताड़ा।
7. कार्य का विवरण :–

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र की मूल्य (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Renovation Work of S.T. Boys Hostel Building at Chakri in under Block-Jamtara, Distt.-Jamtara.	7,32,900.00	15,000.00	1,250.00	3 माह
2	Supply fitting and fixing Electrification Work of S.T. Boys Hostel Building at Chakri in under Block-Jamtara, Distt.-Jamtara.	2,36,500.00	5,000.00	750.00	3 माह
3	Renovation of S.T. Boys Hostel High School Campus, Mihijam under Block-Jamtara, Distt.-Jamtara.	8,89,600.00	18,000.00	1,250.00	3 माह
4	Construction and Renovation of Boundary Wall At.- S.T. Boys Hostel, Mihijam +2 High School in under Block, Jamtara.	9,10,900.00	18,500.00	1,250.00	3 माह
5	Construction of 06-Additional Class Room in Upgraded Middle School, Vill-Subdidih, Block-Karmatar, District – Jamtara.	39,12,000.00	78,500.00	5,000.00	9 माह
6	Construction of 06-Additional Class Room in Upgraded Middle School, Vill-Dighari, Block-Narayanpur, District – Jamtara.	39,12,000.00	78,500.00	5,000.00	9 माह
7	Construction of 06-Additional Class Room in Upgraded Middle School, Vill-Champapur, Block-Narayanpur, District – Jamtara.	39,12,000.00	78,500.00	5,000.00	9 माह

8. निविदा की शर्तें www.jamtara.nic.in एवं कार्यालय के सूचना पटट् पर देखा जा सकता हैं।

परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
जामताड़ा।

ज्ञापांक 784 / आई.टी.डी.ए., जामताड़ा, दिनांक 18/06/19

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उपरोक्त निविदा आमंत्रण सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन सुनिश्चित करायी जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निविदा आमंत्रण सूचना जिला के वेबसाईट पर प्रसारण कराई जाय।

परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
जामताड़ा।

कार्यालय : समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जामताड़ा

निविदा की नियम एवं शर्तें

(निविदा सं0–01/2019–20)

1 प्रत्याशी निविदाकार को झारखण्ड राज्य के भवन निर्माण विभाग में ठेकेदारी नियमावली 2015 के अन्तर्गत समुचित श्रेणी में विधिवत पंजीकृत होना अनिवार्य है। समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते है।

2. परिमाण विपत्र की स्वीकृति के आधार पर निविदा की राशि घट–बढ़ सकती है। तद्नुसार अग्रधन एवं परिमाण विपत्र की राशि में परिवर्तन हो सकता है।

3. परिमाण विपत्र क्रय हेतु अद्यतन पैन कार्ड, जी.एस.टी. निबंधन, फर्म निबंधन, अद्यतन आयकर, UCAN No. एवं चरित्र प्रमाण–पत्र जो उपायुक्त द्वारा निर्गत किया गया हो, स्व–हस्ताक्षरित सुस्पष्ट प्रति प्रस्तुत करनी होगी निविदा प्रपत्र एवं निविदा के साथ भी सभी प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। उक्त सभी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न रहने पर ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा। बाद में किसी प्रकार का प्रमाण–पत्र समर्पित करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. कार्य आवंटन के उपरान्त संवेदक को लेवर लाईसेंस हेतु इस कार्यालय द्वारा फारम–V निर्गत किया जाएगा। तदोपरान्त उस कार्य विशेष हेतु श्रम विभाग द्वारा संवेदक को निर्गत लेबर लाईसेंस कार्य प्रारंभ होने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

5. सभी वांछित कागजातों की अभिप्रमाणित प्रति के समर्पित करने पर ही संवेदक को परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वैध प्राधिकार पत्र एवं परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा के कागजात दिए जायेंगे।

6. लघुखनिज समुनदान नियमावली 1978 के नियम (10) का अनुपालन करना होगा, साथ व्यय छत लघुखनिजों के खनन पदाधिकारी द्वारा करना होगा, सभी व्यवहृत लघु खनिजों के खनन पदाधिकारी द्वारा समर्पित कार्य एम0एम0 फार्म की उपलब्धता पर ही सम्पादित कार्यों का भुगतान किया जायेगा।

7. जिस संवेदक का विभाग में पूर्व आवंटित कोई कार्य लंबित है अथवा उनका कार्यान्वियन संतोषजनक नहीं रहा है या धोखाधड़ी का मामला चल रहा हो उन्हें कार्य आवंटन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

8. उद्धृत परिमाण विपत्र के मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) के समतुल्य **भारतीय स्टेट बैंक का बैंक ड्राफ्ट** जमा करना होगा, जो परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए., जामताड़ा (Project Director, I.T.D.A., Jamtara) के पदनाम से निर्गत (निर्गत तिथि निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि के बाद होनी चाहिए) एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जामताड़ा शाखा को भुगतेय होगा एवं जिसकी वैधता कम से कम दो माह रहना अनिवार्य होगा।

9. निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र में यथा अंकित राशि के अनुसार निविदा अभिलेख के साथ, अग्रधन के रूप में छः वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र का अद्यतन निर्गम अथवा पाँच वर्षीय/तीन वर्षीय समावधि जमा के रूप में, जो झारखण्ड राज्य के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर से निर्गत एफ0डी0/एन0एस0सी0 हो तथा परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए., जामताड़ा (Project Director, I.T.D.A., Jamtara) के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञप्ति (Pledged) हो, जमा करना अनिवार्य होगा।

10. निविदादाता को निर्देश दिया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व स्वयं अपने खर्च पर कार्य स्थल जाकर स्थल की स्थिति एवं सामग्रियों की उपलब्धता एवं दूरी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें। बाद में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

11. कार्य आवंटन के उपरांत एक सप्ताह के अन्दर एफ–2 पर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा विलम्ब होने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

12. संवेदक को, सरकार द्वारा स्वीकृत अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान करना अनिवार्य होगा। निर्धारित कार्यावधि के अन्दर मजदूरी बढ़ने पर उन्हें अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्य के लिए संवेदक को सभी सामग्रियों एवं उपस्करों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

13. निविदादाता को अपना दर परिमाण विपत्र में निर्धारित स्थान में शब्दों एवं अंकों में दर्ज करना होगा। निविदादाता परिमाण विपत्र में 10 प्रतिशत कम तक अपना दर अंकित कर सकते है, 10 (दस) प्रतिशत से कम सीमा से आगे कम दर मान्य नहीं होगा। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

14. प्रत्येक निविदा के साथ एक Forwarding Letter जिसमें अग्रधन राशि निबंधन सं0 आदि की विवरणी के साथ निविदा में डाले गए सभी अन्य कागजातों की विषय सूची (Index) पृष्ठांकित कर जमा करना होगा।

15. एकरारनामा अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। किसी प्रकार का अवधि विस्तार स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
16. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
17. आयकर, बिक्री कर, श्रम उपकर आदि की कटौती सरकार द्वारा समय–समय पर लागू–प्रवृत दर पर की जायेगी।
18. कार्यस्थल पर निर्माण सामग्री यथा सिमेंट, छड़, चिप्स, ईंट आदि का गुणवत्ता प्रमाण–पत्र के साथ कार्य स्थल पर संवेदक को स्वयं आपूर्ति करनी होगी एवं उनका रख–रखाव तथा सुरक्षा व्यवस्था निजी खर्च पर उन्हें करनी होगी एवं कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्ट के अनुरूप करना होगा।
19. किये गये कार्यों का भुगतान निधि की उपलब्धता पर होगी।
20. सरकार द्वारा विभिन्न संहिताओं, संकल्पों, अध्यादेशों एवं परिपत्रों के माध्यम से समय–समय पर निर्गत अनुदेश एवं कार्य पर लागू होंगे तथा संवेदकों को इसका पालन करना बाध्यकारी होगा।
21. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों एवं किये गए कार्य का गुणवत्ता प्रमाण–पत्र एवं स्वामित्व सफाया प्रमाण–पत्र के बिना विपत्र का अंतिम भुगतान नहीं किया जायेगा। मरम्मति एवं अन्य छोटे कार्य का गुणवत्ता प्रमाण–पत्र आवश्यकतानुसार नहीं भी ली जा सकती है।
22. किसी भी संवेदक को कार्य आवंटन के उपरांत सबलेट करना एकरारनामा शर्त्त का उल्लंघन होगा एवं समुचित सूचना प्राप्त होने पर एकरारनामा रद्द करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।
23. कार्य स्थल पर संवेदक को साईन बोर्ड लगाना होगा।
24. कार्य स्थल पर बिजली, पानी, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था आदि मूलभूत सुविधाएँ संवेदक को स्वयं करनी होगी।
25. जिस कार्य परिमाण विपत्र अनुमोदित नहीं हो सकेगा तो उस कार्य की निविदा स्थगित कर दी जायेगी।
26. जिन कार्य में छत का निर्माण/मरम्मति करनी हो, उसमें समाप्ति के पश्चात् एक बरसात के बाद या अन्य कार्य समाप्ति/हस्तांतरित के एक वर्ष पश्चात् अग्रधन एवं जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी।
27. संवेदक को समय–समय पर कार्य स्थल का एवं कार्य पूर्ण होने पर फोटो जमा करना अनिवार्य होगा।
28. संवेदक को निविदा के साथ समर्पित परिमाण विपत्र में स्पष्ट लिखावट एवं अन्य कागजात सुस्पष्ट, स्वहस्ताक्षरित तथा अभिप्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य होगा।
29. बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को रद्द करने/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

परियोजना निदेशक,
आई.टी.डी.ए., जामताड़ा।

ज्ञापांक 785 /आई.टी.डी.ए., जामताड़ा, दिनांक 18/06/19

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., जामताड़ा/जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सी.डी. सहित निविदा आमंत्रण सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

परियोजना निदेशक,
आई.टी.डी.ए., जामताड़ा।

H:\TENDER_FILE_2018_19\TENDER\2019_20\TENDER_RULE_REGULATION_2018_19.docx